पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 29, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	15–27	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	13–20	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

नवम्बर, 2012 ई0

संख्या 6012(I)/XII/2012/92(05)/2006–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा नियमावली, 2012

भाग–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थितिः

उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा एक राज्य सेवा हैं, जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएंः

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से पंचायती राज विभाग के सचिव अभिप्रेत है ;

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(घ) संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है ;

(ङ) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं ;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा अभिप्रेत है ;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्गों" से समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है ;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, की गयी हो ;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2

संवर्ग

4. सेवा का संवर्गः

(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या 13 होगी :

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या श्री राज्यपाल महोदय उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

(दो) श्री राज्यपाल महोदय, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–3

भर्ती

5. भर्ती का स्रोतः

सेवा में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी, अर्थात्–

(एक) पैंतालीस प्रतिशत आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ;

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और पंचायत निरीक्षक (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ;

(तीन) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6. आरक्षणः

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4

अर्हता

7. राष्ट्रीयताः

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हताएंः

सेवा में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक में उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो एवं कम्प्यूटर के उपयोग का सामान्य ज्ञान भी होना आवश्यक है।

9. अधिमानी अर्हताएंः

अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयुः

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती– की जानी है, उस वर्ष की 01 जुलाई को, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिएः

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्रः

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होगा।

12. वैवाहिक प्रास्थितिः

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थताः

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो, भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेः

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–5
भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारणः

नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रियाः

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए, आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयेाग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक, उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षाओं में भी दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में उल्लिखित नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम, आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रियाः

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, समय–समय पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार, वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी।

17. संयुक्त चयन सूचीः

यदि किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6
प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. प्रशिक्षणः

जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र पर छः मास के प्रशिक्षण के पश्चात् ही की जाएगी।

19. नियुक्ति–

मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 के उप नियम (4) अथवा नियम 17 के अधीन तैयार की गई सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।

20. परिवीक्षाः

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर, प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवायें प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

21. स्थायीकरणः

(1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर स्थायीकरण उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

22. ज्येष्ठता:

(1) सेवा के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी, यदि निर्धारित तिथि तक योगदान प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा:

परन्तु यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों के कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

भाग–7
वेतन इत्यादि

23. वेतनमान:

(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का, चाहे वे मौलिक या स्थानापन्न रूप से अथवा अस्थायी आधार पर नियुक्त हों, अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पद का वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, होगा।

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन:

मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी अनुमन्य होगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि, दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न करने के कारण, परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग–8
अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन:

सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27. सेवा शर्तों में शिथिलता:

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है।

परिशिष्ट

पदनाम	स्थायी	अस्थायी	वेतनमान
जिला पंचायतराज अधिकारी	स्थायी	–	₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे 5,400

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 6012(I)/XII/2012/92(05)/2006**, dated November, 2012 for general information :

NOTIFICATION
Miscellaneous
November, *2012*

No. 6012(I)/XII/2012/92(05)/2006--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Zila Panchayat Raj Adhikari Service.

THE UTTARAKHAND ZILA PANCHAYAT RAJ ADHIKARI SERVICE RULES, 2012

Part-I

GENERAL

1. Short title and commencement :

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Zila Panchyat Raj Adhikari Service Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service :

The Uttarakhand Zila Panchayat Raj Adhikari Service is a State Service, which comprises Group "B" posts.

3. Definitions :

In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Act" means the Uttarakhand Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes) Act, 1994 (Adaptation and Modification Order, 2001) ;

(b) "Appointing Authority" means Secretary, department of the Panchayati Raj ;

(c) "Citizen of India" means a person, who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(d) "Constitution" means the Constitution of India ;

(e) "Commission" means the Public Service Commission, Uttarakhand ;

(f) "Government" means the State Government of Uttarakhand ;

(g) "Governor" means the Governor of Uttarakhand ;

(h) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these Rules or orders and rules in force prior to the commencement of these Rules, to a post in the cadre of the Service ;

(i) "Service" means the Uttarakhand Zila Panchayat Raj Adhikari Service ;

(j) "Other Backward Classes of Citizens" means Other Backward Classes of citizens specified in Schedule 1 of the Act, as amended from time to time ;

(k) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ; and

(l) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II

CADRE

4. Cadre of Service :

(1) The strength of the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be thirteen:

Provided that:

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part-III

RECRUITMENT

5. Source of recruitment :

Recruitment to the post of Zila Panchayat Raj Adhikari in the Service shall be made from the following sources, namely--

(i) Forty five percent by direct recruitment through the Commission by Combined State Service Examination;

(ii) Fifty percent through the **commission** by promotion from amongst such substantively appointed Assistant Development Officers (Panchayat) and Panchayat Inspectors (Industry), who have completed five years service as such, on the 1st day of the year of recruitment;

(iii) Five percent through the **commission** by promotion from amongst Assistant Zila Panchayat Raj Adhikaries (Technical), who have completed Five years service as such, on the 1st day of the year of recruitment.

6. Reservation :

Reservation for the candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backword Classes and other Categories of the Uttarakhand State, shall be in accordance with the orders of the Government **in force at the time of recruitment**.

Part-IV

QUALIFICATIONS

7. Nationality :

A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be--

(a) A citizen of India ; or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin, migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person, in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he/she may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him/her or issued in his/her favour.

8. Academic qualifications :

A candidate for recruitment to the post of Zila Panchayat Raj Adhikari must be a graduate from any university established by law in India or any other qualification recognized by the Government as equivalent thereto and knowledge of **Computer** operation also shall be the essential qualification.

9. Preferential qualifications :

Such candidate shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment, who--

(i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) has obtained a "C" certificate of N.S.S., or

(iii) has obtained a "B" certificate of National Cadet Corps.

10. Age :

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on July 1st of the year, in which recruitment is to be made:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be heigher, by such number of years, as may be specified.

11. Character :

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons, dismissed by the Union Government or a Sate Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in the Service Persons, convicted of an offence involving moral turpitude, shall also not be eligible.

12. Marital status :

A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service ;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness :

No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10, contained in chapter III of the financial Hand Book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Determination of vacancies :

The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year **in accordance with the rules in force for the time being** as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories **belonging to the State of Uttarakhand** under rule 6.

15. Procedure for direct recruitment :

(1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed format. The application form may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

(2) No candidate shall be admitted to the written examination unless he holds an admission card, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes and other categories under rule 6, call for interview such candidates, who, on the basis of the result of the written examination, have obtained marks in accordance with the standard fixed by the Commission in this respect. The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates, as it considers fit for appointment. **If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtains equal marks in the written examination also. The candidate senior in age shall be placed higher in the list.** The number of names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

NOTE--The syllabus and rules or the competitive examination shall be prescribed by the Commission from time to time.

16. Procedure for recruitment by promotion :

Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003.

17. Combined selection list :

If in any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

Part-VI

TRAINING, APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

18. Training :

Appointment of the selected candidate for the post of Zila Panchayat Raj Adihkari shall be made only after he/she has undergone six months training at training centre, run by the State Government.

19. Appointment :

On occurrence of substantive vacancies, the Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order, in which they stand in the list prepared under sub rule (4) of rule 15 or rule 17, as the case may be.

20. Probation :

(1) A person, on appointment to any post in the Service in or against a substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities of has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

21. Confirmation :

(1) The person, appointed to the Service, shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if--

(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any ;

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory ;

(c) his integrity is certified, and

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Confirmation on the post of Zila Panchayat Raj Adhikari shall be made in accordance with the provisions of the Uttarakhand Government Servant Confirmation Rules, 2002.

22. Seniority :

(1) The seniority of persons, **substantively appointed to a post in the Service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002.**

(2) The Selection of a directly selected candidate shall be cancelled if he fails to join by the due date :

Provided that a candidate recruited directly may lose his/her seniority if he/she fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him/her. The decision of the Appointing Authority, as to the validity of reasons, shall be final.

Part-VII

PAY ETC.

23. Pay Scale :

(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the posts in the service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The **Pay** scale **the** post at the time of the commencement of these Rules shall be ₹ 15,600--39,100, Grade pay ₹ 5,400.

24. Pay during probation :

Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, shall be allowed his first increment when he/she has complete one year of satisfactory service and has successfully completed the training prior or to the appointment and second increment after two years service when he has completed the probationary period, and his work and conduct is reported to be satisfactory :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not account for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Part-VIII

OTHER PROVISIONS

25. Canvassing :

No recommendations, either written or oral other than those required under these Rules applicable to the **post in the** Service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature, shall disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters :

In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to the Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation in the conditions of Service :

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons, appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules, applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Appendix

Designation	Permanent	Temporary	Pay-Scale
District Panchayati Raj Officer	Permanent	--	₹ 15,600--39,100, Grade pay ₹ 5,400

By Order,

R. K. SUDHANSHU.

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/14—भाग 1—2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 29, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2012 ई0

सं0 एफ–9 (10) आरजी/यूईआरसी/2012/1293–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा (2) (zg) एवं (2) (zp) के साथ पठित धारा 86 की उपधारा (1) (g) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 (प्रधान विनियम), में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय :–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम की अनुसूची में संशोधन :–

पार्ट ए–प्रधान विनियम के विनियम 3 (1), 4 (2), 4 (5) और विनियम 7 में संदर्भित तथा प्रधान विनियम का भाग निर्मित करने वाली अनुसूची इन विनियमों से संलग्न रूप में प्रतिस्थापित होगी–

अनुसूची

[विनियम (3) देखिये]

क्रम संख्या	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु0 में)
1	2	3
1.	आयोग के आदेशों/अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन	₹ 200.00 (रु0 दो सौ)/दिन, अधिकतम तीन घंटों के लिये

1	2	3
2.	युटीलिटी में निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका	₹ 15,000 (रु0 पन्द्रह हजार)
3.	आयोग के दस्तावेजों/आदेशों की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति	₹ 5 (रु0 पाँच)/पृष्ठ
4.	विविध याचिकाएं, जो सम्मिलित नहीं की गई	
	(ए) यदि अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी द्वारा दायर किया गया है	₹ 10,000 (रु0 दस हजार) प्रति आवेदन
	(बी) यदि अनुज्ञापीधारी या व्यक्ति के अलावा, अन्य किसी के द्वारा दायर की है	₹ 1,000 (रु0 एक हजार) प्रति आवेदन
	(सी) यदि किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है	₹ 500 (रु0 पाँच सौ) प्रति आवेदन
पार्ट बी–विवादों और शिकायतों का निस्तारण–		
1.	विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन विवादों और मतभेदों का न्याय निर्णयन	
	(ए) किसी अनुज्ञापी या ऊर्जा के परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कम्पनी द्वारा संदर्भित	₹ 20,000 (रु0 बीस हजार)
	(बी) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कम्पनी द्वारा संदर्भित	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
	(सी) एक कैप्टिव संयंत्र के स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा संदर्भित	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
पार्ट सी–लाईसेन्स प्रदान करना–		
1.	विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति लाईसेन्स, पारेषण और ट्रेडिंग प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ लगने वाला आवेदन/प्रक्रमण फीस	विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2.	वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाईसेन्स फीस	अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अवधि में बिल की गई राशि का 0.05% प्रारम्भ में लाईसेन्स प्रदान करते समय देय तथा लाईसेन्सी की मान्य अवधि में प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में वार्षिक रूप से, राशि की संगणना प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार अवधारित किया जायेगा।
3.	पारेषण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाईसेन्स फीस	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई या पारेषित की गई या किसी अन्य तरीके से हैंडल की गई विद्युत की प्रत्येक एक लाख यूनिट या उसके भाग हेतु ₹ 150 (रु0 एक सौ पचास), जो प्रारम्भ में लाईसेन्स प्रदान करते समय देय होगी लाईसेन्स की मान्य अवधि में पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये राशि का अवधारण प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार संगणित किया जायेगा।

1	2	3
4.	ट्रेडिंग अनुज्ञापी द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक लाईसेन्स फीस	प्रति वर्ष ट्रेड किये जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत की मात्रा पर आधारित वार्षिक फीस : 1. 100 मिलियन यूनिट तक : ₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख) 2. 100 से 200 मिलियन यूनिट तक : ₹ 2,00,000 (रु0 दो लाख) 3. 200 मिलियन यूनिट से अधिक : ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
5.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन	₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
6.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अधीन लाईसेन्स में संशोधन हेतु आवेदन	
	(ए) लाईसेन्सी द्वारा	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
	(बी) अनुज्ञापी से अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
7.	लाईसेन्स दिये जाने से छूट हेतु आवेदन	आवेदन/याचिका दायर करते समय या अन्य उपयुक्त समय पर प्रत्येक मामले में अलग–अलग विनिर्दिष्ट किये अनुसार फीस
पार्ट डी–टैरिफ निर्धारण–		
1.	अनुज्ञापी/उत्पादन कम्पनी/SLDC की कारोबारी योजना का अनुमोदन	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
2.	विद्युत की खुदरा बिक्री, पारेषण और व्हीलिंग हेतु MYT के अधीन SLDC फीस व प्रभारों का वार्षिक अवधारण	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
3.	MYT के अधीन वितरण व पारेषण अनुज्ञापी तथा SLDC की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
4.	उत्पादन दर की अवधारण हेतु आवेदन	
	(ए) 2 MW से अधिक संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय/गैर परम्परागत उत्पादक स्टेशनों के लिए	2 MW से अधिक और 10 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए ₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख) और 10 MW से अधिक क्षमता वाले के लिये ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
	(बी) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	100 MW तक की संस्थापित क्षमता हेतु ₹ 10,00,000 (रु0 दस लाख) और उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के प्रत्येक अतिरिक्त MW या उसके भाग हेतु ₹ 10,000 (रु0 दस हजार)

1	2	3
5.	MYT के अधीन 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आध ाारित संयंत्र जिसमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित है की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा	100 MW तक संस्थापित क्षमता हेतु ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख) और संस्थापित क्षमता में प्रत्येक अतिरिक्त MW या उसके भाग हेतु ₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
6.	एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन के लिये आवेदन	
	(ए) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	प्रति MW या उसके भाग हेतु ₹ 25,000 (रु0 पच्चीस हजार) [न्यूनतम रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) और अधिकतम ₹ 10,00,000 (दस लाख)]
	(बी) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/को–जेनरेशन	प्रति MW या उसके भाग हेतु ₹ 10,000 (रु0 दस हजार) [न्यूनतम रु0 50,000 (रु0 पचास हजार) और अधिकतम ₹ 5,00,000 (पाँच लाख)]
पार्ट ई–समीक्षा–		
1.	युटीलिटीज में निवेश के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा हेतु याचिका/आवेदन	₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
2.	अनुज्ञापियों और उत्पादक कम्पनियों के बीच तथा अनुज्ञापियों के बीच विवादों और मतभेदों के न्याय निर्णयन पर आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन	मूल आवेदन हेतु भुगतान की गई फीस का 25%
3.	वितरण, पारेषण या व्यापार लाईसेन्स प्रदान किये जाने हेतु आवेदन/ याचिका पर आदेश की समीक्षा के लिये समीक्षा आवेदन/याचिका के साथ लगने वाली फीस	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
4.	उत्पादन शुल्क के अवधारण पर आदेश हेतु समीक्षा याचिका	
	(अ) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
	(ब) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह–उत्पादन	₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
5.	वितरण और पारेषण अनुज्ञापियों और SLDC द्वारा शुल्क याचिका/आवेदन पर आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)

1	2	3
6.	ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रपत्र के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा के लिये याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	
	(अ) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
	(ब) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह–उत्पादन	₹ 25,000 (रु0 पच्चीस हजार)
7.	अन्यत्र सम्मिलित न हुए आयोग के किसी आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार हेतु आवेदन	₹ 1,000 (रु0 एक हजार)

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।

NOTIFICATION

December 21*, 2012*

No. F-9(10)RG/UERC/2012/1293--In exercise of the powers conferred under sub-section (1)(g) of Section 86 read with sub-section (2)(zg) & (2) (zp) of section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Fees and Fines) Regulations, 2002 (Principal Regulations), namely :

1. Short title and commencement :

(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Fees and Fines) (First Amendment) Regulations, 2012.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment of Schedule of Principal Regulation :

Part A--The Schedule referred to in Regulation 3(1), 4(2), 4(5) and Regulation 7 of the Principal Regulation and forming part of the Principal Regulation shall be replaced by the Schedule as appended to these Regulations.

SCHEDULE

{*See Regulation (3)*}

Sl. No.	Nature of Application/Petition	Fees (in Rs.)
1	2	3
1.	Application for inspection of orders/records/documents of the Commission	₹ 200.00 (Rs. Two Hundred)/day for a period not exceeding three hours
2.	Petition for approval of investment in utility	₹ 15,000 (Rs. Fifteen thousand)
3.	Supply of certified copies of documents/orders of the Commission	₹ 5 .00 (Rs. Five)/page

1	2	3
4.	Miscellaneous Petitions not covered elsewhere :	
	(a) If filed by licensee/generating company	₹ 10,000 (Rs. Ten Thousand) per application
	(b) If filed by anybody other than licensee or individual	₹ 1,000 (Rs. One Thousand) per application
	(c) If filed by individual	₹ 5,00 (Rs. Five Hundred) per application
Part B--*Resolution of disputes and complaints* :		
	Adjudication of disputes and differences under the Electricity Act, 2003 and regulations specified thereunder :	
	(a) Referred by a Licensee or by a Generating Company using Conventional source of energy	₹ 20,000 (Rs. Twenty Thousand)
	(b) Reffered by a Generating Company using Non-conventional source of energy	₹ 10,000 (Rs. Ten Thousand)
	(c) Referred by a Person owning a Captive Generating Plant	₹ 10,000 (Rs. Ten Thousand)
Part C--*Grant of Licence* :		
1.	Application/Processing Fee to accompany application for grant of Distribution and Retail Supply Licence, Transmission and Trading in electricity	Fee as may be prescribed by the State Government under the Electricity Act, 2003
2.	Annual Licence Fee payable by the Distribution Licensee	0.05% of amount billed during the immediate preceding financial year in the supply area of the licensee, payable initially at the time of grant of licence and annually in each subsequent year during validity of the licence, the amount determined by similar calculations every year.
3.	Annual Licence Fee payable by the Transmission Licence	₹ 150 (Rs. One Hundred and Fifty) for every One Lac units of electricity or part thereof supplied or transmitted or handled in any other manner by the licensee in the immediately preceding financial year payable initially at the time of grant of Licence. For subsequent years during validity of the licence, the amount determined by similar calculations every year.
4.	Annual Licence fee to be paid by trading licensee	Annual Fee based on the Volume of Electricity proposed to be traded per annum : 1. Upto 100 million units : ₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh) 2. From 100 to 200 million units : ₹ 2,00,000 (Rs. Two Lakh) 3. Above 200 million units : ₹ 5,00,000 (Rs. Five Lakh)

1	2	3
5.	Application Seeking prior approval under section 17 of the Electricity Act, 2003	₹ 5,00,000 (Rs. Five Lakh)
6.	Application for amendment of Licence under section 18 of the Electricity Act, 2003	
	(a) By Licensee	₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh)
	(b) By any person other than a licensee	₹ 10,000 (Rs. Ten Thousand)
7.	Application seeking exemption from grant of licence	Fee as may be specified on case to case basis at the time of filing of application/ petition or at other appropriate time
Part D--*Setting Tariff* :		
1.	Approval of business plan of licensee/generating companies/ SLDC	₹ 50,000 (Rs. Fifty Thousand)
2.	Annual determination of tariff under MYT for retail sale, transmission and wheeling of electricity and SLDC Fee and Charges	₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh)
3.	Annual Performance Review of distribution and transmission licensee and SLDC under MYT	₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh)
4.	Application for determination of generation tariff	
	(a) For Renewable/Non-conventional generating stations having installed capacity more than 2 MW	₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh), for generating stations having installed capacity more than 2 MW and upto 10 MW and ₹ 5,00,000 (Rs. Five Lakh), for capacity more than 10 MW
	(b) Conventional Fuel based plant including hydel plants with capacity above 25 MW	₹ 10,00,000 (Rs. Ten Lakh), for installed capacity upto 100 MW and ₹ 10,000 (Rs. Ten Thousand), for each additional MW or part thereof the installed capacity of the generating station
5.	Annual Performance Review of Conventional Fuel based plant including hydel plants with capacity above 25 MW under MYT	₹ 5,00,000 (Rs. Five Lakh), for installed capacity upto 100 MW and ₹ 5,000 (Rs. Five Thousand), for each additional MW or part thereof the installed capacity
6.	Application for approval of Power Purchase Agreement for a period exceeding one year :	
	(a) Conventional Fuel based plant including hydel plants with capacity above 25 MW	₹ 25,000 per MW or part thereof [Minimum ₹ 2,00,000 and Maximum ₹ 10,00,000
.		
	(b) Renewable Generating sources/Co gen having installed capacity more than 2MW and upto 25 MW	₹ 10,000 per MW or part thereof [Minimum ₹ 50,000 and Maximum ₹ 5,00,000]

1	2	3
Part E--*Review* :		
1.	Petition/Application for review of order for approval of investment in utilities	₹ 5,000 (Rs. Five Thousand)
2.	Application for review of order on adjudication of disputes and differences between licensees and generating companies and between licensees	25% of the fee paid for original application
3.	Fee to accompany review application/petition for review of order on application/petition for grant of Distribution, Transmission or Trading Licence	₹ 50,000 (Rs. Fifty Thousand)
4.	Review petition for order on determination of generation tariff :	
	(a) Conventional Fuel based plant including hydel plants with capacity above 25 MW	₹ 50,000 (Rs. Fifty Thousand)
	(b) Renewable Generating sources/Co gen having installed capacity more than 2MW and upto 25 MW	₹ 5,000 (Rs. Five Thousand)
5.	Fee to accompany review petition/application for review of order on Tariff Petition/Application by distribution and transmission licensees and SLDC	₹ 50,000 (Rs. Fifty Thousand)
6.	Fee to accompany Petition/Application for review of order for approval of Power Purchase and procurement process from	
	(a) Conventional Fuel based plant including hydel plants with capacity above 25 MW	₹ 50,000 (Rs. Fifty Thousand)
	(b) Renewable Generating sources/Co gen having installed capacity more than 2MW and upto 25 MW	₹ 25,000 (Rs. Twenty Five Thousand)
7.	Application for review or reconsideration of any, order of the Commission not covered elsewhere	₹ 1,000 (Rs. One Thousand)

By the Order of the Commission,

NEERAJ SATI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/14–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।